राजस्थान सरकार
चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण विभाग, एनआरएचएम
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांक :F21/NRHM/ASHA/Monthly Meeting/2014-15/ 2982 दिनांक 30/7/14

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला कार्यक्रम प्रबंधक,
जिला आशा समन्वयक,
समस्त जिले,
राजस्थान।

विषय : आशा–सहयोगिनी की मासिक बैठक आयोजन के संदर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्राथमिक/सामुदायिक स्वा. केन्द्र पर आशा सहयोगिनी के कार्य की समीक्षा व समस्याओं के निराकरण हेतु प्रति माह आयोजित होने वाली मासिक सेक्टर बैठक संबंधी नवीन दिशा–निर्देश निम्नानुसार है :–

<u>मासिक बैठकों के उद्देश्य :–</u>

1 आशा –सहयोगिनी द्वारा किये गए कार्यो की लक्ष्यों के विरूद्व समीक्षा करना।
2 आशा –सहयोगिनी को स्वास्थ्य संबन्धी मुददों तथा समय –समय पर भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में प्रशिक्षित करना।
3 कार्य के दौरान आयी हुई समस्याओं का निराकरण करना।
4 आशा–सहयोगिनी द्वारा किये गए कार्य के बदले प्रेरक अथवा प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान सुनिश्चित करना।
5 आशा – सहयागिनी को दी गई दवा पेटी के पुनःर्भरण के लिए दवाईयां उपलब्ध कराना।
6 ओ.आर.एस, गर्भ निरोधक साधन ,प्रसव किट तथा वितरित की जानी वाली अन्य साम्रगी की आपूर्ति करना।
7 ग्रामीणों को तिभिन्न स्वास्थ्य मुददों पर जानकारी के लिए बनाई गई आई.ई.सी साम्रगी को वितरण करने हेतु उनके उपयोग के बारे में जानकारी देना।

<u>मासिक बैठकों के सदस्य व समय :–</u>

प्रत्येक मासिक बैठक में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत आने वाली आशा – सहयोगिनी , ए.एन.एम , महिला बाल विकास विभाग की महिला पर्यवेक्षक, पीएचसी हैल्थ सुपरवाइजर का उपस्थिति रहना अनिवार्य है। प्रा.स्वा.केन्द्र के चिकि.अधि.प्रभारी बैठकों के आयोजन के लिए जिम्मेदार होगें। एल.एच.वी व पीएचसी हैल्थ सुपरवाइजर इन बैठको की तैयारी करेंगें तथा सभी आशा –सहयोगिनीयों का बैठक में आना सुनिश्चित करेंगें। इसके अतिरिक्त समय–समय पर ब्लॉक हैल्थ सुपरवाइजर एवं जिला आशा समन्वयक भी बैठको में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे।

मासिक बैठकों का आयोजन प्रा./सामुदायिक स्वा. केन्द्रों पर हर माह 26 से 30 तारीख के बीच 10 बजे से 3 बजे तक किया जायेगा। मासिक बैठकों के आयोजन से पूर्व जिला आशा समन्वयक द्वारा पीएचसी वार बैठक का कलेन्डर बनाकर राज्य स्तर पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाया जायेगा। यदि स्थानीय परिस्थिति अनुसार बैठक दिनांक में परिवर्तन किया जाता है तो उसकी सूचना राज्य स्तर पर आवश्यक रूप से प्रेषित की जाए।

<u>मासिक बैठक के दौरान किये जाने वाले कार्य :–</u>

आशा–सहयोगिनी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रेरक तथा प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान सही समय पर करना बहुत आवश्यक है। इस हेतु मासिक बैठक मे चिकि. अधिकारी , एल.एच.वी की सहायता से यह सुनिश्चित करे की आशा–सहयोगिनीयों को वर्तमान समय तक उनके कार्य के बदले पूर्ण राशि का भुगतान किया गया है। यदि किसी कारणवश यह भुगतान नही हुआ है तो चिकित्सा अधिकारी व पीएचसी हैल्थ सुपरवाइजर की जिम्मेदारी है कि वह तुरंत इसका भुगतान समबन्धित व्यक्ति द्वारा करवाना सुनिश्चित करें।

Email Id:- co.asha nrhm@yahoo.com 0141-2220963 (9461900247)

राजस्थान सरकार
चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण विभाग, एनआरएचएम
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी–स्कीम, जयपुर

प्रा.स्वा. केन्दो पर मासिक बैठक से पूर्व आवश्यक ड्रग किट आई.ई.सी.सामग्री , गर्भ निरोधक साधन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये ताकि इसका वितरण बैठकों मे किया जा सके।

मासिक समीक्षा :– आशा – सहयोगिनी प्रत्येक महीने में उसके द्वारा किये गये कार्य का मासिक प्रतिवेदन तैयार कर चिकित्सा अधि. प्रभारी/पीएचसी हैल्थ सुपरवाइजर को प्रा.स्वा.केन्द्र की बैठक के दौरान प्रस्तुत करेगी। इसी बैठक मे आशा–सहयोगिनी ग्राम स्वास्थ्य समिति बैठक रजिस्टर और किशोरी बालिका परामर्श सत्र का रजिस्टर चिकित्सा अधिकारी प्रभारी को प्रस्तुत करेगी। मासिक प्रतिवेदन के आधार पर आशा – सहयोगिनी के कार्य की समीक्षा की जायेगी।

मासिक संकलन :–निर्देशित किया जाता है कि बैठक हेतु प्रत्येक प्रा.स्वा.केन्द्र पर एक रजिस्टर का संधारण किया जाएगा जिसमें कि प्रत्येक आशा – सहयोगिनी द्वारा प्रस्तुत मासिक रिपोर्ट को पीएचसी हैल्थ सुपरवाइजर द्वारा दर्ज किया जाएगा। यह एक आधारभूत सूचना स्त्रोत के रूप में कार्य करेगा जिसमें कार्य –प्रगति दर्ज कर समीक्षा की जा सकेगी।

बैठक में चर्चा के बिन्दु :– उपरोक्त कार्यो के अलावा आशा – सहयोगिनीयों की मासिक बैठक मे समयानुसार स्वास्थ्य मुददों पर चर्चा करवाई जाये जिसके लिए चर्चा के बिन्दु निम्नानुसार हो सकते है।

बैठक हेतु चर्चा विषयों को दो भागों में बांटा गया है – स्थायी समीक्षात्मक बिदुं एवं जानकारी परक बिदुं। मासिक बैठकों की विषय साम्रगी ग्राम स्वास्थ्य समिति की मासिक बैठक हेतु निर्धारित बिदुंओं के साथ सामंजस्य में तय की गई है।जिससे कि समिति बैठक हेतु आशा –सहयोगिनी की पूर्व तैयारी हो सके।

1.स्थायी समीक्षात्मक बिदुं – प्रति माह चिकित्सा अधिकारी प्रभारी/पीएचसी हैल्थ सुपरवाइजर निम्न बिदुंओं पर स्थायी रूप से समीक्षा करेगें :–

1. प्रत्येक आशा--सहयोगिनी वार लक्ष्यों के विपरीत उनके द्वारा किये गए कार्यो की समीक्षा करना । निम्न बिदुंओं पर प्रति माह विशेष समीक्षा की जाएगी –
   - ए.एन.सी रजिस्ट्रेशन
   - प्रसव पूर्व जांच
   - संस्थागत प्रसव
   - प्रसव पश्चात (एचबीएनसी अनुरूप) 42 वें दिन तक भेंट
   - टीकाकरण
   - नसबंदी
   - कुपोषण
2. समीक्षा के दौरान कम उपलब्धि वाली आशा –सहयोगिनी को कार्य को बढ़ाने के लिए तरीका/उपाय बताते हुए प्रेरित करना।
3. प्रतिपूर्ति प्रेरक राशि का भुगतान
4. दवा किट का पुनर्भरण /गर्भ निरोधक साधनों की आपूर्ति
5. समस्या समाधान
6. आगामी माह के लक्ष्यों का दोहरान

2.जानकारी परक बिंदु :– निम्न बिदुंओं पर चिकित्सा अधिकारी प्रभारी द्वारा आवश्यकता अनुसार चर्चा की जावे । इस दौरान यह ध्यान रखा जाए कि सत्र सहभागिता पूर्ण चर्चा को प्रेरित करें न कि सिर्फ व्याख्यान तक सीमित रहे। स्थानीय आवश्यकता अनुसार चर्चा बिदु में परिवर्तन किया जा सकता है।

Email Id:- co.asha_nrhm@yahoo.com 0141-2220963 (9461900247)

- बारिश के मौसम में होने वाली बीमारीयों जैसें हैजा , पीलीया , उल्टी–दस्त, आदि के कारण तथा रोकथाम के उपाय बताना । ORS का घोल बनाना बताना।
- किशोरी बालिका परामर्श सत्र व ग्राम स्वास्थ्य समिति की बैठक लेने हेतु आशा–सहयोगिनी का क्षमता संवर्धन।
- सुरक्षित प्रसव , प्रसव पूर्व जांच तथा प्रसव पश्चात जांच, स्तनपान तथा सम्पूर्ण टीकाकरण की आवश्यकता पर चर्चा।
- कम वजन के शिशुओं की पहचान एवं उनकी देखभाल , बच्चों की वृद्दि निगरानी , विटामीन ए की खुराक पर चर्चा।
- अस्थाई गर्भ निरोधक साधनों की जानकारी, साधनों के प्रयोग का तरीका , लाभ एवं संभावित साइड –अफॅक्टस पर चर्चा।
- मासिक प्रतिवेदन तैयार करने/भरने को आवश्यकता एवं तरीके पर चर्चा। आशा –सहयोगिनी के मासिक प्रतिवेदन में दर्ज समस्त कॉलम पर चर्चा कि इसमें 'क्या व किस प्रकार' की सूचना दर्ज की जाएगी।
- डॉट्स रोगियों के पंजीकरण , दवा वितरण, मलेरिया , RT प्रकिया पर चर्चा।

वित्तीय प्रावधान :–

भारत सरकार के पत्र कमांक P.17018/14/13-NRHM-IV दिनांक 3 जनवरी 2014 के द्वारा प्रत्येक आशा सहयोगिनी को प्रा.स्वा.केन्द्र पर होने वाली मासिक बैठक में उपस्थित होने के लिए 150/– रूपये प्रतिमाह का भुगतान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः इस आदेश की अनुपालना पत्र प्राप्ति की दिनांक से तुरन्त प्रभाव से किया जाना सुनिश्चित करें। आशा–सहयोगिनी मासिक बैठकों को नियमित एवं गुणवत्ता पूर्ण कराने की जिम्मेदारी जिला आशा समन्वयक की होगी। समस्त जिला आशा –समन्वयक प्रति माह 10 मासिक बैठकों का पर्यवेक्षण कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सूचित करते हुए पर्यवेक्षण रिपोर्ट निदेशालय को प्रस्तुत करेगें।

विशिष्ठ शासन सचिव एवं
मिशन निदेशक,एनएचएम
चिकि.स्वा.एवं प.क.

प्रतिलिपि :–

1. निजि सचिव , प्रमुख शासन सचिव , चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं , राज सरकार, जयपुर
2. निदेशक आई.सी.डी.एस को भेजकर उल्लेख है कि अपने स्तर पर महिला सुपरवाइजरर्स को मासिक बैठक में उपस्थित होने हेतु आवश्यक निर्देश आदेशित करें।
3. परियोजना निदेशक, एन.एच.एम
4. निदेशक आर.सी.एच
5. वित्तीय सलाहकार, एन.एच.एम
6. राज्य कार्यकम प्रबधंक, एन.एच.एम
7. कनसलटेंट आशा/वी.एच.सी, एन.आर.एच.एम
8. IT–कसलटेंट,सेंट्रल सर्वर रूम न0 302

विशिष्ठ शासन सचिव एवं
मिशन निदेशक,एनएचएम
चिकि.स्वा.एवं प.क.

Email Id:- co.asha_nrhm@yahoo.com
0141-2220963 (9461900247)